B-11
L-31

Polity

दल-बदल में, संसदीय लोकतंत्र में स्थायित्व के बीच का मुद्दा।

• दल-बदल की समस्या मूलतः संसदीय शासन से ही संबंधित होती है क्योंकि मंत्रिपरिषद को सदन में विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है और यदि मंत्रिपरिषद के पास सदन का विश्वास नहीं है तो उन्हें सत्ता से हटा दिया जायेगा।

इसलिए दल-बदल का मूल उद्देश्य सरकार में स्थायित्व बनाए रखना है लेकिन अभी भी भारत में दल-बदल की समस्या बनी हुई है बल्कि दल-बदल के इस प्रावधान के कारण किसी भी दल के सांसद अपने दल के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते भारत में राजनीतिक दलों में अभी भी आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव है

और महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP में बगावत का मूल कारण दल में आन्तरिक लोकतंत्र की अनुपस्थिति है।

• इसलिए यह कहा जाता है कि दल-बदल में प्रावधान का प्रयोग केवल कुछ चुनिंदा परिस्थिति में करना चाहिए जहाँ सरकार गिरने की संभावना हो।

निष्कर्ष :- डॉ अम्बेडकर का यह कथन सत्य है कि संविधान या विधी अच्छा या बुरा नहीं होता अपितु समस्या संविधान या विधी के प्रयोग करने वालों की है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

लोकसभा राज्यसभा की तुलना

राज्यसभा	लोकसभा
• उम्र 30 वर्ष	• उम्र 25 वर्ष
• 6 वर्ष - स्थायी सदन	• 5 वर्ष का कार्यकाल अस्थायी सदन
• आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली	• फर्स्ट-पास्ट पोस्ट सिस्टम
• 250 सदस्य	• 550 सदस्य

राज्यसभा :-

- इंग्लैंड की परम्परा में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जबकि भारतीय संविधान में न कोई उच्च सदन है न कोई निम्न सदन है।

भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और संघीय शासन होने के कारण राज्यसभा का निर्माण आवश्यक है क्योंकि लोकसभा आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है।

- राज्य-सभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीट प्राप्त हैं जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य को केवल 1 सीट दी गई है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व 1951 के अनुसार राज्य-सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है जिसके अनुसार राज्य को प्रथम 50 लाख की जनसंख्या के

Scanned by CamScanner

आधार पर 5 सीटें प्राप्त होंगी और अतिरिक्त 20 लाख की जनसंख्या पर 1 अतिरिक्त सीट मिलेगी।

- संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होगा लेकिन राज्यसभा के निर्वाचन का विस्तृत प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिया गया है

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 2003 में संशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार अब राज्य सभा में गुप्त मतदान नही होता है। इसी प्रावधान के अनुसार भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य सभा का सांसद हो सकता है अब उस राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक नही है।

- राज्य सभा वरिष्ठों का सदन है इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन भी होता है जो साहित्य विज्ञान कला और समाजसेवा से संबंधित होते हैं जिससे लोकतांत्रिक शासन में विशेषज्ञता और गुणों की भी रक्षा हो सके।

परन्तु हाल की प्रवृत्तियों को देखने से यह प्रतीत होता है-

(i) राज्यसभा के दलबदल होर्स ट्रेडिंग की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो फिलहाल उत्तर-प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में देखी गयी है।

Scanned by CamScanner

- पहले राज्यसभा में वैज्ञानिक, समाजसेवी और साहित्यकार प्रवेश करते थे जबकि वर्तमान में व्यापारी एवं धन, बल, बाहुबल वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में जाने के अवसर मिल रहे हैं

लोक सभा :-

- लोक सभा की कुल सदस्य संख्या 550 है लेकिन वर्तमान संख्या 543 है।
- पहली लोकसभा में 489 सांसद थे लेकिन प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि होगी (अनु० 82), क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है इसलिए जनसंख्या बढ़ने के साथ लोकसभा सीटों का समायोजन होगा।

समायोजन

1951 - 1952 - परिसीमन आयोग

UP को कितनी सीट — 80 सीट का आकार — मेरठ, वाराणसी, हापुड़

1961 - 1962 - 2 परिसीमन आयोग

1971 - 1972 - 3 परिसीमन आयोग

- संविधान में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन का सिद्धांत दिया गया है लेकिन विभिन्न राज्यों के

Scanned by CamScanner

लिए लोकसभा सीटों की संख्या का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में है।

- 42वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि वर्ष 2004 की जनगणना के बाद होगी लेकिन 2000 में भी लोकसभा सीटें नहीं बढ़ी क्योंकि 84वाँ संविधान संशोधन किया गया जिसके अनुसार 2026 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

लोकसभा का निर्वाचन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के अनुसार होता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner